भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

 **राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 2155

उत्‍तर देने की तारीख : 12 मई, 2016

**विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के लिए सहायता**

**2155. श्री पि॰ भट्टाचार्यः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की स्थिति के अनुसार, शौचालय और पेयजल सुविधाओं के बिना चल रहे विद्यालयों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ख) क्या राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने और बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए और ज्यादा केन्द्रीय सहायता की मांग कर रही हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क): स्वच्छ विद्यालय पहल के अंतर्गत 15.08.2014 से 15.08.2015 तक की 1 वर्ष की अवधि के भीतर 2,61,400 प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में 4,17,796 शौचालयों के निर्माण के साथ अब सभी सरकारी विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध हैं। बिना पेयजल की सुविधा के कार्यरत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्नक-I में हैं।

(ख): जी, हां। भारत सरकार संपूर्ण देश के विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन और वृद्धि के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) कार्यक्रमों के अंतर्गत इन कार्यक्रमों के बजट परिव्ययों के अनुसार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटी) की वित्तीय रूप से सहायता करती है। विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता प्रत्येक वर्ष संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में वृद्धि के आधार पर तैयार की जाती है जो आवश्यकता और प्राथमिकता पर निर्भर करता है और यह उनकी वार्षिक कार्ययोजना और बजट (एडब्ल्यूपी और बी) में दर्शाया जाता है। विद्यालयों की सृजित अवसंरचना और शिक्षा की स्थिति के कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए नियमित रूप में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

 विद्यालयों में अवसंरचना सुविधाओं सहित एसएसए और आरएमएसए के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यकलापों हेतु राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश-वार प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्नक-II में है।

\*\*\*\*\*\*

संलग्नक-**I**

**‘‘विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के लिए सहायता’’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री पि॰ भट्टाचार्य द्वारा दिनांक 12.05.2016 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं.2155 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।**

**पीने के पानी की सुविधा के बिना कार्यात्मक प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के सरकारी स्कूलों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.स.** | **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** | **उन सरकारी स्कूलों की संख्या जिनमें पीने के पानी की सुविधाएं नहीं हैं** |
| **प्रारंभिक स्कूल** | **माध्यमिक स्कूल** |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 2 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 4833 | 266 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 770 | 20 |
| 4 | असम | 5636 | 730 |
| 5 | बिहार | 5708 | 108 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 1777 | 181 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 |
| 9 | दमन और दीव | 0 | 0 |
| 10 | दिल्ली | 0 | 0 |
| 11 | गोवा | 10 | 1 |
| 12 | गुजरात | 88 | 12 |
| 13 | हरियाणा | 179 | 7 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 161 | 2 |
| 15 | जम्मू-कश्मीर | 2594 | 68 |
| 16 | झारखंड | 3458 | 143 |
| 17 | कर्नाटक | 907 | 20 |
| 18 | केरल | 48 | 4 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 9091 | 298 |
| 21 | महाराष्ट्र | 504 | 5 |
| 22 | मणिपुर | 475 | 21 |
| 23 | मेघालय | 2914 | 302 |
| 24 | मिजोरम | 173 | 40 |
| 25 | नागालैंड | 568 | 89 |
| 26 | ओडिशा | 1254 | 76 |
| 27 | पुडुचेरी | 1 | 1 |
| 28 | पंजाब | 12 | 1 |
| 29 | राजस्थान | 2833 | 310 |
| 30 | सिक्किम | 35 | 4 |
| 31 | तमिलनाडु | 95 | 56 |
| 32 | तेलंगाना | 3382 | 192 |
| 33 | त्रिपुरा | 482 | 11 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 3893 | 144 |
| 35 | उत्तराखंड | 1090 | 200 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 1353 | 54 |
|  | कुल | **54326** | **3366** |

नोट: प्रारंभिक स्कूलों की कुल संख्या 1080757 और माध्यमिक स्कूलों की कुल संख्या 233517 है।

स्रोत: यूडीआईएसई, 2014-15.

संलग्नक-**II**

**‘‘विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के लिए सहायता’’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री पि॰ भट्टाचार्य द्वारा दिनांक 12.05.2016 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं.2155 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।**

स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान एसएसए और आरएमएसए के तहत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

 ***(रू. लाख में)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.स.** | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** |
| **एसएसए** | **आरएमएसए** | **एसएसए** | **आरएमएसए** | **एसएसए** | **आरएमएसए** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 612.35  | 0.00 | 147.21  | 65.00 | 359.46  | 158.06 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 174715.39  | 19869.00 | 154566.68  | 8671.00 | 66810.81  | 27182.77 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 19261.85  | 0.00 | 33607.83  | 137.57 | 18179.44  | 3626.43 |
| 4 | असम | 131820.73  | 7062.00 | 97782.17  | 15981.06 | 100464.64  | 16261.66 |
| 5 | बिहार | 261013.11  | 6884.90 | 216336.05  | 14484.50 | 251557.33  | 3601.01 |
| 6 | चंडीगढ़ | 3009.26  | 22.00 | 3893.53  | 181.20 | 3521.81  | 117.65 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 76699.64  | 18693.36 | 92705.34  | 19018.66 | 62219.70  | 22917.78 |
| 8 | दादरा एवं नगर हवेली | 927.19  | 36.00 | 911.74  | 49.80 | 594.91  | 207.00 |
| 9 | दमन और दीव | 145.54  | 180.14 | 72.77  | 51.44 | 78.38  | 77.94 |
| 10 | दिल्ली | 8322.82  | 443.43 | 6223.73  | 2114.07 | 7293.80  | 1952.97 |
| 11 | गोवा | 1333.57  | 104.30 | 1310.38  | 323.15 | 813.58  | 229.15 |
| 12 | गुजरात | 80559.63  | 0.00 | 78476.48  | 9600.80 | 61563.82  | 12238.29 |
| 13 | हरियाणा | 35088.42  | 7204.27 | 42110.65  | 15018.76 | 34501.21  | 7726.57 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 11453.10  | 11244.12 | 12547.30  | 3609.39 | 12139.13  | 12552.07 |
| 15 | जम्मू-कश्मीर | 89143.50  | 13578.00 | 51276.51  | 11544.16 | 129980.55  | 9614.42 |
| 16 | झारखंड | 45010.71  | 11883.00 | 75775.18  | 11120.31 | 55863.31  | 7753.04 |
| 17 | कर्नाटक | 65371.33  | 12883.00 | 66213.52  | 30351.27 | 41759.33  | 20968.84 |
| 18 | केरल | 20800.66  | 1719.00 | 21844.02  | 3991.25 | 12858.86  | 10247.22 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.00  | 0.00 | 58.83  | 2.12 | 139.87  | 9.79 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 200408.56  | 52455.38 | 149094.91  | 21010.77 | 160197.85  | 28340.93 |
| 21 | महाराष्ट्र | 65653.65  | 768.13 | 58288.54  | 23451.85 | 41225.28  | 20180.33 |
| 22 | मणिपुर | 13193.93  | 3928.55 | 21465.80  | 6242.42 | 18355.46  | 5093.41 |
| 23 | मेघालय | 28340.86  | 340.92 | 20404.51  | 58.62 | 16626.96  | 40.08 |
| 24 | मिजोरम | 10657.69  | 3945.04 | 14739.69  | 2802.65 | 9437.51  | 2080.48 |
| 25 | नागालैंड | 15803.02  | 506.47 | 20568.72  | 363.88 | 8739.53  | 5326.42 |
| 26 | ओडिशा | 73956.08  | 26553.62 | 66695.31  | 20100.26 | 82081.65  | 19870.99 |
| 27 | पुडुचेरी | 443.19  | 716.60 | 100.00  | 75.43 | 583.14  | 152.56 |
| 28 | पंजाब | 38323.72  | 9260.38 | 36215.98  | 9938.55 | 30003.82  | 4482.69 |
| 29 | राजस्थान | 242488.70  | 26714.00 | 248041.55  | 34421.25 | 193462.09  | 37129.87 |
| 30 | सिक्किम | 4195.08  | 862.22 | 4526.13  | 1118.81 | 4054.36  | 1661.22 |
| 31 | तमिलनाडु | 96827.48  | 35936.40 | 135819.79  | 33364.51 | 82111.73  | 31471.84 |
| 32 | तेलंगाना |  - | 0.00 | 81406.88  | 8289.07 | 21776.01  | 20008.10 |
| 33 | त्रिपुरा | 15991.09  | 2365.62 | 19800.13  | 599.04 | 16956.97  | 910.28 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 466698.04  | 9680.00 | 449867.53  | 14228.11 | 505434.30  | 13150.00 |
| 35 | उत्तराखंड | 22043.51  | 7571.60 | 22880.56  | 5825.84 | 22588.40  | 4330.77 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 153196.42  | 76.52 | 97240.30  | 10743.70 | 84679.41  | 2909.39 |
|  | **कुल** | **2473509.82** | **293487.97** | **2403016.25** | **338950.27** | **2159014.41** | **354582.02** |